भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1132
22.11.2019 को उत्तर के लिए

सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माताओं हेतु दिशानिर्देश

1132. श्री प्रतापराव जाधव :
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :
श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री बिद्युत बरन महतो :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में सिंगल-यूज प्लास्टिक के विनिर्माताओं के अनुपालन के लिए कोई व्यापक प्रक्रिया अथवा दिशानिर्देश नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार वर्ष 2022 तक सिंगल-यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त करने के लिए इसके पुनर्चक्रण या निपटान संबंधी नए दिशानिर्देशों पर काम कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्ययोजना तैयार की गई है;

(घ) क्या सरकार विनिर्माताओं पर पुनर्चक्रण कंपनियों द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) प्रतिबद्धता के रूप में किए जाने वाले कार्यों पर नजर रखने के लिए साक्ष्य आधारित तंत्र स्थापित करने पर जोर दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सिंगल-यूज प्लास्टिक के पुनर्चक्रण, प्रबंधन और निपटान तथा उत्पाद के लिए सख्त उत्तरदायित्व के संबंध में व्यापक नीति बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श का भी प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नए दिशानिर्देशों की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) सिंगल - यूज प्लास्टिक के प्रबंधन से संबंद्ध उच्च पर्यावरणीय लागतों, विशेष रूप से समुद्रवर्ती पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव और सिंगल-यूज प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा किए जाने वाली निश्चित प्रतिक्रियात्मक अनुपूरक कार्रवाइयों की आवश्यकता पर विचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक सिंगल-यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए भारत की प्रतिज्ञा की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने ''एकल उपयोग प्लास्टिक के संबंध में मानक दिशानिर्देश'' सभी भारत सरकार के तहत सभी मंत्रालयों और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित कार्यालयों और राज्यों में व्यापक कार्यान्वयन के लिए जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में सुझाव देते हैं।

(घ) से (च) ये नियम उत्पादकों को राज्य शहरी विकास विभागों को शामिल करते हुए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित अपशिष्ट एकत्र प्रणाली के लिए रीतियां तैयार करने के लिए अधिदेशित करते हैं। ये नियम मार्केट में ऐसे उत्पादों को प्रस्तुत करने वाले उत्पादकों, आयातकों और ब्रैंड के मालिकों को आगे प्रयुक्त किए गए बहु-स्तरीय प्लास्टिक सेशे या पाउच या पैकिजिंग सामग्री को एकत्रित

करने के लिए अधिदेशित करते हैं। ये नियम उन्हें अपने उत्पादों के कारण उत्सर्जित प्लास्टिक अपशिष्ट को वापिस इकट्ठा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना भी निर्धारित करते हैं।

मंत्रालय ने ईपीआर के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों के साथ कई बैठकें आयोजित की हैं। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा बंगलुरू, रांची और चंडीगढ़ में हितधारक परामर्श कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं।

*****